

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 03/प्रो.-05-03/2014...2498.../ राँची, दिनांक: 23.7.15...

—: आदेश :—

श्री अमरनाथ झा, तत्कालीन कनीय अभियंता, जलपथ प्रमंडल सं.-02, चक्रधरपुर को पाँच वर्ष तक प्रोन्नति पर रोक का दण्ड संसूचन के फलस्वरूप विभागीय आदेश सं.-3041 दिनांक 27.09.2010 द्वारा प्रदत्त प्रथम एवं द्वितीय ACP लाभ का देय तिथि क्रमशः 09.08.99 एवं 06.02.2003 को संशोधित करते हुए प्रथम ACP दिनांक 09.08.2004 से एवं द्वितीय ACP दिनांक 06.02.2008 किया जाता है।

2. पूर्व में स्वीकृत लाभ के तहत अगर कोई वित्तीय लाभ इन्हे प्रदान की गयी हो तो उपर्युक्त संशोधन के आलोक में वित्तीय लाभ की वसूली एक मुस्त कर ली जाएगी।

3. उक्त संशोधन के प्रस्ताव में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा तथा प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./—

(इग्नेस कुजूर)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./—

(इग्नेस कुजूर)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./—

(इग्नेस कुजूर)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :-

2498

राँची, दिनांक :-

23.7.15

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/अवर सचिव(मुख्यालय)/ उप सचिव(मुख्यालय)/ सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता/ मत्स्य विभाग, झारखण्ड, राँची/ ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/ नगर विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ संबंधित सभी कनीय अभियंता/ प्रशाखा-02, 03 एवं 08/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ बायोडाटा कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(इग्नेस कुजूर)

सरकार के अवर सचिव